जवाहर रोजगार योजना की समीक्षा

765. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर रोजगार योजना की कोई समीक्षा करायी है, यदि हां तो उसका निष्कर्ष क्या है ;

(ख) क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गई धनराशि और उसके उपयुक्त आबंटन के लिए नयी प्रक्रिया प्रारम्भ करने का विचार रखती है ; और

(ग) उक्त योजना के लाभभोगियों की सूचना की सही जानकारी देने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी हां । जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वियन की केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है । राज्य स्तर पर योजना की राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा समीक्षा की जाती है । राज्य सरकारों ने जिला/उप-मंडल स्तर पर कार्यक्रम के गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं की समीक्षण करने हेतु प्रत्येक पर्यवेक्षी स्तर के कार्यकर्ता के लिए निरीक्षण अनुसूची तयार की है ।

राज्य स्तर पर वित्तीय और भौतिक निष्पादन की राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक, तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों तथा राज्य सचिवों की आवधिक बैठकों की मार्फत समीक्षा की जाती है ।

कार्यक्रम की गुणात्मक निगरानी हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्षेत्र अधिकारियों की एक योजना भी शुरु की है जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय और योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के दल बनाए गए हैं । इन दलों को प्रत्येक को एक अथवा दो राज्य आबंटित किए गए हैं । ये दल समय-समय पर आबंटित राज्यों का दौरा करते हैं और जवाहर रोजगार योजना सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वियन संबंधी जानकारी देते हैं ।

जवाहर रोजगार योजना के निष्पादन संबंधी मूल्यांकन का जायजा लेने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1992 में देश के सभी जिलों में प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं की मार्फत जवाहर रोजगार योजना का समवर्ती मूल्यांकन भी कराया है । रोजगार सृजन, सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्वरूप, सामान्य तौर पर समाज तथा विशेष रूप से निर्धनतम वर्गों में उनके लाभ और गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों के कल्याण में जवाहर रोजगार योजना के योगदान के संबंध में कार्यक्रम मूल्यांकन के मुख्य मुद्दे रहे हैं । समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गये हैं । **(नीचे देखिए)** ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) विद्यमान मार्गदर्शिकाओं के अनुसार ग्राम पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना के बारे में आवश्यक सूचना उदाहरण के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त आबंटन किए जा रहे कार्यों, श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी आदि को प्रमुख दीवार पर प्रदर्शित करना होता है। जवाहर रोजगार योजना की आयोजना, निगरानी और पर्यवेक्षण संबंध मुद्दे पर प्रति माह आयोजित ग्राम पंचायत की बैठकों में चर्चा की जाती है और इन बैठकों में ग्राम समुदाय का कोई भी सदस्य भाग ले सकता है तथा वह योजना के कार्यान्वियन के संबंध में कोई भी मामला उठाने के लिए स्वतंत्र होगा ।

मंत्रालय ने दूरदर्शन, आकाशवाणी, श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय आदि सहित निचले स्तर पर लाभार्थियों को सूचना का प्रचार-प्रसार करने के लिए बहुआयामी अभियान भी शुरु किया है ।

विवरण

समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष

1. जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर सामुदायिक विकास परियोजना शुरु करने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध निधियों का लगभग 73 प्रतिशत खर्च किया गया था। कुछेक राज्यों अर्थात् जम्मू व कश्मीर, सिक्किम, त्रिपुरा, अंदमान व निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी में उपलब्ध निधियों का 100 प्रतिशत से भी अधिक इस्तेमाल किया गया था ।

2. जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा पूरी की गई 57 प्रतिशत परिसम्पत्तियों में प्राथमिकता ग्रामीण संपर्क, सड़कों, पंचायत घरों, स्कूल भवनों और सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण को दी गई थी ।

3. अधिकांश राज्यों (पंजाब को छोड़कर) में अकुशल श्रमिकों को प्रति श्रम दिन दी गई औसत मजदूरी तकरीबन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के समान थी।

4. अखिल भारतीय स्तर पर ग्राम पचायतें द्वारा शुरु किए गए जवाहर रोजगार योजना कार्यों के मजदूरी और गैर-मजदूरी घटक पर खर्च क्रमशः 53 प्रतिशत और 47 प्रतिशत के अनुपात में था ।

5. अधिकांश मामलों में श्रमिको को मजदूरी का भुगतान दैनिक आधार पर अथवा साप्ताहिक आधार पर किया गया था । केवल कुछेक मामलों में यह पाक्षिक अथवा मासिक आधार पर किया गया था।

6. लगभग 84 प्रतिशत मामलो में मस्टर रोल बनाए गए थे और ये ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध थे ।

7 सृजित कुल परिसम्पत्तियों मे से लगभग 74 प्रतिशत परिसम्पत्तिया सही संतोषजनक पाई गई, 8 प्रतिशत परिसम्पत्तियां की गुणवत्ता खराब थी और शेष 18 प्रतिशत परिसम्पत्तियां अपूर्ण थी अथवा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं थीं ।

8. अखिल भारतीय स्तर पर गत 30 दिनों अर्थात् सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व, के दौरान जवाहर रोजगार योजना के एक श्रमिक को लगभग 4 दिन का रोजगार मिला और परिवार के अन्य सदस्य को एक श्रम दिन का रोजगार मिला था । असम, गोवा, उड़ीसा और लक्षद्वीप जैसे कुछेक राज्यों में यह 10 दिन से अधिक था ।

9. अधिकांश मामलों में सृजित परिसम्पत्तियों का रख-रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया है । तथापि, 17.5 प्रतिशत मामलों में इसका रख-रखाव किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं किया जा रहा था।

रिपोर्ट के कुछेक "चिंता के क्षेत्रों" की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है। वह निम्नानुसार हैं :—

(1) अधिकाश मामलों में पंचायत मुखिया को जवाहर रोजगार कार्य शुरु करने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था ।

(2) रोजगार में महिलाओं का हिस्सा मात्र 20 प्रतिशत था ।

(3) कुछ राज्यो अर्थात् असम, जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा, दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी में वार्षिक कार्य योजनाओं पर ग्रामसभा की बैठकों में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई थी ।

(4) कुछेक राज्यों अर्थात् आध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पांडचेरी में पुरुष और महिला अकुशल श्रमिक को प्रति श्रम दिन भुगतान की गई औसत मजदूरी में अंतर था ।

(5) जो श्रमिक "अपात्र" श्रेणी से संबंधित थे उनको भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ दिया गया था ।